रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18042020-219077
CG-MH-E-18042020-219077

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2020/चैत्र 28, 1942
No. 149] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2020/CHAITRA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 13 मार्च, 2020

सं. टीएएमपी/31/2019-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केओपीटी के कोलकाता डॉक सिस्टम पर निर्यात-आयात के भरे हुए प्रत्येक कंटेनर पर, लगाए जाने वाले स्कैनिंग प्रभार के निर्धारण के लिए कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण इस आदेश के साथ संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/31/2019-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास ..... आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(फरवरी 2020 के 20 वें दिन पारित)

यह मामला केओपीटी के कोलकाता डॉक सिस्टम (केडीएस) में प्रत्येक लदे/भरे हुए एग्जिम कंटेनर पर लगाए जाने वाले स्कैनिंग प्रभार के निर्धारण के लिए कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) से प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. केओपीटी द्वारा किए गए मुख्य सबमिशन ने अपने पत्र संख्या वित्त/91/ख दिनांकित 27 जून 2019 में किए गए मुख्य उल्लेख इस प्रकार हैं:

(i) महापत्तनों की ओर से और उसके लिए इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (आईपीए) ने जवाहरलाल नेहरू पत्तन (जेएनपीटी), केओपीटी, कामराजर पत्तन लिमिटेड (केपीएल), न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में 7 मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर प्रणाली और और संबद्ध उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन और रखरखाव के लिए योग्य पात्र निविदाकारों से ई-निविदाएं आमंत्रित की थीं। निविदा पर आधारित, सफल बोली लगाने वाले को एमएक्ससीएस प्रणाली की स्थापना और रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।

(ii). केओपीटी ने सफल बोलीदाता के साथ एक एमएक्ससीएस प्रणाली की आपूर्ति, स्थापित करने, परीक्षण करने के लिए कार्य आदेश जारी किया है।

(iii). पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, उपरोक्त सभी पत्तनों को सलाह दी गई थी कि वे एमएक्ससीएस सिस्टम स्थापित करें और उसके संचालन के लिए होने वाले खर्च को वसूलने के लिए प्रस्ताव तैयार करें और टीएएमपी को भी भेजें।

(iv). कंटेनर स्कैनिंग सुविधा केओपीटी के लिए एक नई अवधारणा है और ऐसी सुविधा के लिए दरमान में कोई विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध नहीं है।

(v). प्रस्ताव तैयार करते समय, केओपीटी दरमान के क्लॉज-3 (xix) में उल्लेखित टीएएमपी के निर्देश का अनुसरण किया गया है। उक्त क्लॉज़ निम्नानुसार हैं:

"(क). जब भी किसी सेवा/कार्गो के लिए अधिसूचित दरमान में विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध नहीं होता है, तो केओपीटी तुलनीय सेवा के लिए निर्धारित प्रशुल्क और निष्पादन मानकों को अपनाने हेतु प्रशुल्क की अधिसूचना के लिए टीएएमपी को एक उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। महापत्तन न्यासों में भी यदि किसी प्रशुल्क का निर्धारण संभव नहीं है, तो पर्याप्त कारण देने के बाद केओपीटी लागत और 16% प्रत्यागम के सूत्र (फॉर्मूला) के आधार पर दरों का प्रस्ताव करेगा।

(ख). इसके साथ, जब तक कि दर को अंतिम रूप से अधिसूचित नहीं किया जाता है प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ ही, प्रस्तावित दर को तदर्थ आधार पर लगाया जा सकता है ।

(ग). अंतरिम अवधि में संचालित होने वाली तदर्थ दर को, तुलनीय सेवाओं/कार्गो के लिए मौजूदा अधिसूचित शुल्कों के आधार पर प्राप्त किया जाना चाहिए और, इस पर पत्तन/टर्मिनल और संबंधित उपयोगकर्ता (ओं) द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति□ होनी चाहिए।

(घ) टीएएमपी द्वारा निर्धारित अंतिम दर आमतौर पर केवल भावी रूप से प्रभावी होगी। तदर्थ तरीके से अपनाई गई अंतरिम दर को तब तक मान्यता दी जाएगी जब तक कि इसमें पूर्वव्यापी प्रभाव से कुछ तर्कसंगत संशोधन आवश्यक नहीं पाया जाता है।"

(vi). 4.2 लाख से अधिक भरे हुए एग्जिम कंटेनरों प्रतिवर्ष केडीएस में प्रहस्तित जाते हैं और केडीएस में प्रहस्तित किये जाने वाले भरे हुए एग्जिम कंटेनरों की संख्या की तुलना में स्कैनिंग से गुजरने वाले कंटेनरों की संख्या बहुत कम होगी। इस प्रकार, स्कैनिंग करने वाले कंटेनरों की संख्या पहले से अनिश्चित है।

(vii). इसके अलावा, यदि स्कैनिंग के लिए चुने गए कंटेनरों को केवल स्कैनिंग प्रभार की गणना के लिए माना जाता है तो स्कैनिंग प्रभार निषेधात्मक रूप से अधिक होगा। इसलिए, स्कैन किए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर (कैपेक्स और ओपेक्स) की लागत को सभी भरे हुए एक्जिम कंटेनरों में समान रूप से प्रभारित करने के लिए विचार किया गया है।

(viii). सिविल अवसंरचना लागत, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लागत, एमएक्ससीएस सिस्टम इंस्टॉलेशन लागत, एमएक्ससीएस लागत, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा खपत लागत, सफाई और रखरखाव के लिए जनशक्ति लागत तथा स्थल की सुरक्षासेवा के लिए लागत को ध्यान में रखते हुए यह दर परिकलित हुई है।

(ix). दर के लिए विस्तृत गणना टीएएमपी दिशानिर्देशों पर लागत +16% प्रत्यागम के आधार पर आधारित है। केओपीटी द्वारा प्रस्तुत गणना इस प्रकार है:

1	उन लदे हुए कंटेनरों की संख्या (अनुमानित) जो केडीएस पर प्रहस्तित किए जाएंगे	
	2017-18 में एग्जिम के लदे हुए कंटेनरों की संख्या	420,513
	एईसीओएम रिपोर्ट से ली गई वार्षिक संयोजी ग्रोथ दर (सीएजीआर)	1.028%
	2019-20 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के भरे हुए प्रहस्तित किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या	429,203
	2020-21 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के भरे हुए प्रहस्तित किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या	433,615
	2021-22 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के भरे हुए प्रहस्तित किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या	438,073
	2022-23 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के भरे हुए प्रहस्तित किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या	442,576
	2023-24 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के भरे हुए प्रहस्तित किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या	447,126
	2024-25 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के भरे हुए प्रहस्तित किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या	451,722
	2025-26 में सीएजीआर की दर पर एग्जिमके भरे हुए प्रहस्तित किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या	456,366
	2026-27 में सीएजीआर की दर पर एग्जिमके भरे हुए प्रहस्तित किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या	461,057
	8 वर्षों में एग्जिम के भरे हुए प्रहस्तित किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या	3,559,739
	एग्जिम के भरे हुए प्रत्येक वर्ष प्रहस्तित किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या	444,967
	(3559739/8)	
2	पूंजी निवेश	रु.
क.	सिविल अवसंरचना लागत + जीएसटी 18% की दर से	36,872,361
ख.	विद्युतीकरण लागत	5,275,393
ग.	एमएक्ससीएस प्रणाली की स्थापना लागत	195,336,061
	विविध लागत (क+ख+ग) का @ 5%	11,874,190.75
	कुल पूंजी निवेश	249,358,006
3	प्रचालन निवेश (प्रति वर्ष)	रु.

क.	एमएक्ससीएस अनुरक्षण लागत – प्रति वर्ष (एमएक्ससीएस अनुरक्षण 8 वर्ष के लिए - रु. 101,538,775)	12,692,347
ख.	मूल्यांकन (पूंजीगत परिसंपत्तियों की मियाद 8 वर्ष) (कुल पूंजी निवेश/8) [रु. 249358006/8 वर्ष]	31,169,750
ग.	444967 कंटेनरों की स्कैनिंग पर विद्युत लागत	5,295,332
घ.	स्वच्छता और रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष जनशक्ति लागत	262,500
ङ.	सुरक्षा सेवा लागत प्रतिवर्ष	4,320,000
च	विविध व्यय कुल पूंजी निवेश के @ 2.5% की दर से	6,233,950
	वार्षिक प्रचालन लागत	59,973,879
4	नियोजित पूंजी पर वार्षिक प्रत्यागम **@ 16%**	39,897,281
5	वार्षिक राजस्व मांग	
क.	वार्षिक प्रचालन लागत	59,973,879
ख.	नियोजित पूंजी पर वार्षिक प्रत्यागम @ 16%	39,897,281
	वार्षिक राजस्व मांग	99,871,160
	स्कैनिंग उप-प्रभार प्रत्येक भरे हुए एग्जिम कंटेनर पर लगाया जाएगा=	
	(वार्षिक राजस्व मांग) / (औसतन प्रतिवर्ष प्रहस्तित किए जाने वाले भरे हुए एग्जिम कंटेनरों की संख्या)	224.45
	प्रत्येक भरे हुए एग्जिम कंटेनर पर स्कैनिंग उप प्रभार (जीएसटी को छोड़ कर)	**225**

2.2. प्रस्तावित दर को केओपीटी के न्यासी बोर्ड का, उनके संकल्प सं. आर/31/केडीएस/टीएफसी/2/05/2019 दिनांक 30 मई 2019 के तहत अनुमोदन प्राप्त है।

2.3. उपरोक्त उल्लेखों के आधार पर और चूंकि केडीएस में भरे हुए एग्जिम कंटेनरों की स्कैनिंग के लिए केओपीटी के मौजूदा दरमानों में कोई विशिष्ट दर उपलब्ध नहीं है, इसलिए केओपीटी ने रुपये 225/- प्रति कंटेनर (जीएसटी को छोड़कर) की दर पर स्कैनिंग शुल्क का प्रस्ताव किया है। यह दर कंटेनर के आकार के बावजूद भरे हुए प्रत्येक एग्जिम कंटेनर के लिए लगाए जाने का प्रस्ताव है।

3.1. चूंकि, केओपीटी ने संदर्भगत मामले में परामर्श करने के लिए उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों की सूची प्रस्तुत नहीं की थी और ड्राफ्ट दरमान भी प्रस्तुत नहीं किये थे, इसलिए केओपीटी को हमारे पत्र दिनांक 3/4 जुलाई 2019 के तहत उन संबंधित उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों के नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जिन्हें संदर्भगत मामले में परामर्श करने की आवश्यकता है और प्रस्तावित लेवी को नियंत्रित करने वाली शर्तों सहित मसौदा दरमान प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था।

3.2. उक्त पत्र का हवाला देते हुए केओपीटी को यह भी बताया गया कि आदेश सं. टीएएमपी/77/2018-वीपीटी दिनांक 29 मार्च 2019 को, इस प्राधिकरण ने विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) पर मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के संचालन के लिए प्रासमिक दृष्टिकोण अपनाते हुए रु.152/- प्रति टीईयू की शुल्क दर को मंजूरी दी है । अगर केओपीटी चाहें तो वह भी इस दर को अपना सकते हैं।

3.3. उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में केओपीटी ने 01 अक्कतूबर 2019 के पत्र के माध्यम से उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों की सूची प्रस्तुत की जिन्हें संदर्भगत मामले मे परामर्श किया जाना है. केओपीटी ने ड्राफट दरमानों भी प्रस्तुत किए हैं। केओपीटी द्वारा ड्राफट-दरमान भी प्रस्तावित किए गए हैं। एमएक्ससीएस के संचालन के लिए प्रस्तावित दरमान इस प्रकार हैं:

"केओपीटी (केडीएस) में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के संचालन के लिए प्रभार की अनुसूची

विवरण	यूनिट	रुपये (भारतीय मुद्रा)
मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के संचालन के लिए शुल्क	टीईयू	225.00

नोट:

(1). एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के लिए निर्धारित प्रशुल्क, ट्रांसशिपमेंट के कंटेनरों के अलावा अन्य सभी कंटेनरों पर लगाया जाएगा भले ही विदेशी आयातित कंटेनर स्कैन किया गया हो या नहीं।

(2). 8 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित यह प्रशुल्क स्वत: वार्षिक-अनुक्रमण के अध्याधीन मान्य होगा।

(3). ऊपर निर्धारित प्रशुल्क को मुद्रास्फीति पर अनुक्रमित किया जाएगा, लेकिन केवल प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60% तक प्रशुल्क-कैप का ऐसा स्वत: समायोजन हर साल किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क-कैप संबंधित वर्ष के 1 मई से अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू होगी।"

3.4. वीपीटी पर मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के संचालन के लिए शुल्क के प्रति 152/- प्रति टीईयू की दर से अपनाने के संबंध में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केओपीटी ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी है।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, 27 जून 2019 को केओपीटी प्रस्ताव की एक प्रति हमारे 25 अक्टूबर 2019 के पत्र के तहत संबंधित उपयोगकर्ताओं या उपयोगकर्ता संगठनों को भेज दी गई, जिसके तहत उनकी टिप्पणी मांगी गई। कुछ उपयोगकर्ता संगठनों ने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है। उक्त टिप्पणियों को प्रतिक्रियात्मक सूचना के रूप में केओपीटी को भेज दिया गया। केओपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 6 दिसंबर 2019 को अपनी प्रतिक्रिया दी है।

5. संदर्भगत मामले में 6 दिसंबर 2019 को केओपीटी परिसर में एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, केओपीटी ने प्रस्ताव की एक संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। संयुक्त सुनवाई के दौरान, केओपीटी और अन्य उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता संगठनों ने अपना अपना पक्ष रखा।

6.1. संयुक्त सुनवाई के दौरान, उपयोगकर्ताओं ने पत्तन द्वारा प्रस्तावित कंटेनर स्कैनर प्रभार पर आपत्ति जताई है। संयुक्त सुनवाई के दौरान किए गए अपने उल्लेख में एफआईईओ ने केओपीटी द्वारा अपनी गणना में विचारित कंटेनर ट्रैफिक ग्रोथ पर संदेह व्यक्त किया है। इस परिप्रेक्ष्य में, संयुक्त सुनवाई में विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, 13 दिसंबर 2019 के पत्र के अंतर्गत केओपीटी से कंटेनर स्कैनर प्रभार की समीक्षा की मांग की गई थी।

6.2. इसके जवाब में, केओपीटी ने अपने ई-मेल दिनांक 20 दिसंबर 2019 को स्कैनिंग प्रभार को संशोधित किया है और रुपये 225/- प्रति कंटेनर की अपेक्षा रुपये 208/ - प्रति कंटेनर की दर का प्रस्ताव किया है। केओपीटी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत गणना पत्रक निम्नानुसार है:

1	उन लदे हुए कंटेनरों की संख्या जो केडीएस पर प्रहस्तित किए जाएंगे	
	2017-18 में एग्जिम के भरे हुए कंटेनरों की संख्या	420,513
	एईसीओएम रिपोर्ट से ली गई वार्षिक संयोजी ग्रोथ दर (सीएजीआर)	1.028%
	2019-20 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या (प्रथम वर्ष)	429,203
	2020-21 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या (दूसरे वर्ष)	433,615
	2021-22 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या (तीसरे वर्ष)	438,073

	2022-23 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या (चौथे वर्ष)	442,576
	2023-24 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या (पांचवें वर्ष)	447,126
	2024-25 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या (छटे वर्ष)	451,722
	2025-26 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या (सातवें वर्ष)	456,366
	2026-27 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या (8वें वर्ष)	461,057
	2027-28 में सीएजीआर की दर पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या (9वें वर्ष)	465,796
	2028-29 में सीएजीआर की दर पर एग्जिमके लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या (10वें वर्ष)	470,584
	10 वर्षों में एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की कुल संख्या	44,96,118
	एग्जिम के लदे हुए प्रत्येक वर्ष प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की औसत संख्या	4,49,612
	(3559739/8)	
2	पूंजीगत लागत	रु.
क.	सिविल अवसंरचना लागत + जीएसटी 18% की दर से	3,68,72,361
ख.	विद्युतीकरण लागत	52,75,393
ग.	एमएक्ससीएस प्रणाली की स्थापना लागत	19,53,36,061
	विविध लागत @ (क+ख+ग) का 5%	1,18,74,190.75
	कुल पूंजीगत निवेश	24,93,58,006
3	प्रचालन लागत	रु.
क.	विद्युत खपत	52,95,332.40
ख.	एमएक्ससीएस अनुरक्षण लागत	1,26,92,347.00
ग.	मूल्य ह्रास (पूंजीगत परिसंपत्तियों के 10 वर्ष तक के कार्य-जीवन के लिए)	2,49,35,800.60
घ.	स्वच्छता और रखरखाव के लिए वार्षिक जनशक्ति लागत	2,62,500.00
ङ.	सुरक्षा सेवा लागत प्रतिवर्ष	43,20,000.00
च.	विविध व्यय कुल पूंजी निवेश के @ 2.5% की दर से	62,33,950
	वार्षिक प्रचालन लागत	5,37,39,930.15
4	नियोजित पूंजी पर वार्षिक प्रत्यागम @ 16%	3,98,97,281

5	वार्षिक राजस्व मांग	
क.	वार्षिक प्रचालन लागत	5,37,39,930.15
ख.	नियोजित पूंजी पर वार्षिक प्रत्यागम @ 16%	3,98,97,281.00
	वार्षिक राजस्व मांग	9,36,37,211.15
	मोबाईल स्कैनर प्रभार प्रति टीईयू	**208.26**

6.3. इसके पश्चात, केओपीटी ने अपने 05 फरवरी 2020 के पत्र के तहत, नीचे दी गई शर्तों के अनुसार शुल्क लगाने के साथ-साथ निम्नानुसार संशोधित दरमान प्रस्तुत किया है:

"केडीएस, केओपीटी में एक मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग (एमएक्ससीएस) प्रणाली की प्रोक्योरमेंट, इंस्टालेशन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन लागत वसूल करने के लिए स्कैनिंग प्रभार।

विवरण	दर (रुपये में)
स्कैनिंग प्रभार	208/- प्रति कंटेनर (जीएसटी के अलावा)

नोट:

(1). स्कैनिंग प्रभार सभी भरे हुए एग्जिम कंटेनरों पर लागू होगा।

(2). कंटेनर के आकार के बावजूद एग्जिम कंटेनरों के लिए दर समान होगी।

(3). स्कैनिंग प्रभार सभी भरे हुए एग्जिम कंटेनरों पर प्रभार्य होगा, भले ही वे स्कैन किये गये हों या नहीं।

(4). निर्धारित प्रशुल्क स्वचालित वार्षिक इंडेक्सेशन के अधीन प्रभावी होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

(5) ऊपर निर्धारित प्रशुल्क को, लेकिन संबंधित वर्ष के 1 जनवरी 2019 और प्रासंगिक वर्ष की 01 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में केवल 60% की भिन्नता की मुद्रास्फीति पर अनुक्रमित किया जाएगा। प्रशुल्क-कैप का ऐसा स्वचालित समायोजन हर साल किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क-कैप संबंधित वर्ष के 1 मई से लागू होगा।"

7. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। संबंधित पक्षों द्वारा प्राप्त टिप्पणियों और तर्कों का एक अंश संबंधित पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट **http://tariffauthority.gov.in** पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

8. इस मामले के प्रसंस्करण के दौरान एकत्र की गई जानकारी की समग्रता के संदर्भ में, निम्न स्थिति उभरती है:

(i). सरकार के निर्देश के आधार पर, कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) ने कंटेनरों को स्कैन करने के लिए, कोलकाता डॉक सिस्टम (एडीआईएस) में एक मोबाइल एक्स-रेकंटेनर स्कैनिंग (एमएक्ससीएस) सिस्टम की स्थापना की परिकल्पना की है। चूंकि स्कैनर-शुल्क के लिए केओपीटी के दरमानों में कोई दर उपलब्ध नहीं है, केओपीटी ने एमएक्ससीएस प्रणाली के संचालन के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केओपीटी के प्रस्ताव को उसके न्यासी बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त है।

(ii). शुरुआत में यह प्रस्ताव केओपीटी द्वारा जून 2019 में दायर किया गया था। हालाँकि, केओपीटी द्वारा दरमानों का मसौदा अक्टूबर 2019 में ही उपलब्ध कराया गया था, साथ ही उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों की सूची जिनके साथ परामर्श किया जाना था भी उपलब्ध कराई थी । तत्पश्चात, संबंधित हितधारकों के साथ प्रस्ताव पर परामर्श लिया गया। इसके अलावा, संयुक्त सुनवाई के दौरान चर्चाओं के आधार पर, केओपीटी ने दिसंबर 2019 में प्रस्तावित कंटेनर स्कैनर शुल्क को कम करते हुए एक संशोधित

प्रस्ताव दायर किया है। केओपीटी के दिसंबर 2019 के उक्त प्रस्ताव पर मामले की प्रोसेसिंग के दौरान एकत्र की गई अन्य जानकारी/ स्पष्टीकरण के साथ विश्लेषण में विचार किया गया है।

(iii). प्रशुल्क नीति, 2018 के खंड 7.6.1 के अनुसार, जब पत्तन के दरमान में एक नई सेवा /कार्गो/उपकरण/ सुविधा के लिए प्रशुल्क दर उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित महापत्तन न्यास, किसी भी महापत्तन पत्तन न्यास में तुलनीय कार्गो / उपकरण / सेवा के लिए निर्धारित प्रशुल्क और निष्पादन मानक, यदि कोई हों, को अपना सकता है या 2008 के दिशानिर्देशों के सिद्धांतों का पालन करते हुए इष्टतम क्षमता के संदर्भ में उक्त नए कार्गो/उपकरण/सेवा/सुविधा के लिए प्रशुल्क की अधिसूचना के लिए एक प्रस्ताव दायर कर सकते हैं। दिशानिर्देशों में आगे उल्लेख किया गया है कि यदि उपरोक्त निर्धारित विकल्पों के आधार पर प्रशुल्क का निर्धारण उपलब्ध नहीं है, तो पर्याप्त कारण बताने के बाद महापत्तन न्यास लागत और 16% प्रत्यागम के सूत्र(फॉर्मूला) के आधार पर दरों का प्रस्ताव कर सकते हैं।

इस संबंध में, यह कहना है कि सरकार ने पत्तन परिसर में स्कैनर स्थापित करने के अपने निर्णय को बताते हुए लागत की वसूली के लिए प्रासमिक दरों का अनुसरण करने के लिए बंदरगाहों (जहां स्कैनर तैनात किए जाने का निर्देश दिया गया है) को निर्देशित किया है।

केओपीटी द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में 2008 के अपफ्रंट दिशानिर्देशो में निधारित सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए प्रासमिक आधार पर स्कैनर के प्रयोग के लिए दर निर्धारण करने हेतु यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

(iv). इष्टतम क्षमता / आंकी गई क्षमता:

(क). 2017-18 के दौरान केडीएस में प्रहस्तित 420513 कंटेनरों का वास्तविक आगम-निर्गम और प्रतिवर्ष 1.028% की चक्रवृद्धि वृद्धि दर के मद्देनज़र केओपीटी ने यह माना है कि स्कैनर की प्रचालन अवधि 10 वर्ष होगी अर्थात केओपीटी द्वारा औसत प्रति वर्ष एग्जिम प्रहस्तित कंटेनरों का परिकलन 2019-20 से 2028-29 तक अनुमानत: 10 वर्षों का है। केओपीटी द्वारा परिकलित 449612 कंटेनरों का यह आंकड़ा जिसे कंटेनर स्कैनिंग सुविधा की इष्टतम क्षमता माना जाता है।

(ख). इस संबंध में, यह स्मरणीय है कि विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) द्वारा दिसंबर 2018 में वीपीटी (सरकार के निर्देश पर) पर मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के संचालन हेतु प्रशुल्क निर्धारण के लिए दायर प्रस्ताव में स्कैनर सुविधा की रेटेड क्षमता प्रति वर्ष 2,45,280 टीईयू का आकलन किया था। यह एक वर्ष के 365 दिनों में, 70 प्रति□शत उपयोग अर्थात (20 सेट x 2 टीईयू 24 घंटे x 365 दिन x 0.7= 2,45,280 टीईयू) 24 दिनों के लिए में 2 टीईयू प्रति घंटे में सेट 20 सेट की प्रहस्तन दर पर आधारित था। इस सुविधा के लिए उपलब्ध किसी भी विशिष्ट मानक की अनुपलब्धता और वीपीटी द्वारा मूल्यांकित निष्पादन के आधार पर, प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएएमपी/77/2018-वीपीटी दिनांक 29 मार्च 2019 को, तब वीपीटी द्वारा प्रस्तावित क्षमता के आधार को विश्वस्नीय माना था।

(ग). यदि स्कैनर सुविधा के प्रयोग के लिए मानक आधारित प्रभार निर्धारित किए जाने हो तो केओपीटी के मामले में स्कैनर सुविधा की 2,45,280 टीईयू प्रति वर्ष की वीपीटी के मामले में आकलित यथा विश्वस्त क्षमता पर विचार किया जाए।

हालांकि, केओपीटी ने कहा है कि यदि स्कैनर सुविधा के उपयोग के लिए प्रशुल्क प्रासमिक क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो स्कैनिंग शुल्क निषेधात्मक रूप से अधिक होगा।

(घ). इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि वीपीटी के मामले में विचारित आकलित क्षमता वार्षिक औसत एग्जिम कंटेनरों की अनुमानित क्षमता की तुलना में काफी कम है, जैसा कि संदर्भगत प्रस्ताव में केओपीटी द्वारा विचार किया गया है। इस परिदृश्य में यदि केओपीटी पर स्कैनर सुविधा के प्रयोग के लिए दर वीपीटी के मामले में विचारित आकलित क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है तो यह केओपीटी द्वारा प्रस्तावित दर की तुलना में अत्याधिक अधिक होगी।

(च). कंटेनरों के स्कैनिंग प्रभार में कोई भी वृद्धि उपयोगकर्ताओं के लिए अलाभकारी होगी। वास्तव में, उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों की दलील है कि कंटेनर हैंडलिंग प्रभार को प्रस्तावित स्तर से कम किया जाए। बाजार की ताकतों और पत्तन के वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर दरों के निर्धारण के लिए पत्तन के लिए 2018 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के तहत प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए और यह कि इस प्रस्ताव को केओपीटी के न्यासी बोर्ड की मंजूरी के बाद से, प्रशुल्क की गणना के उद्देश्य से केओपीटी द्वारा मूल्यांकित औसतन 449612 कंटेनर माने गए हैं।

(छ). कंटेनरों में केओपीटी द्वारा माने जाने वाले कंटेनरों की संख्या 449612 के संबंध में, उपयोगकर्ता संगठनों में से एक, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ) ने केओपीटी द्वारा कंटेनरों में लगभग 1% की विचारित वार्षिक वृद्धि दर पर आपत्ति जताई है। एफआईईओ का विचार है कि केओपीटी द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए मानी जाने वाली लगभग 1% की वृद्धि दर काफी कम है, जिसमें विभिन्न पहलों और निवेशों को ध्यान में रखते हुए पत्तन कंटेनर आगम-निर्गम को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार, एफआईईओ ने कंटेनर आगम-निर्गम की अधिक मात्रा पर विचार करने का अनुरोध किया है, जिसका पत्तन द्वारा प्रस्तावित स्कैनर शुल्क में कमी का प्रभाव पड़ेगा।

इस संबंध में, केओपीटी की आपत्ति है कि पिछले 2-3 वर्षों में कंटेनर आगम-निर्गम में वृद्धि हुई है और आगम-निर्गम में यह वृद्धि केवल खाली कंटेनरों की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है, जिसमें खाली कंटेनरों को स्कैनिंग के अधीन नहीं रखा जाएगा। ये केवल भरे हुए एग्जिम कंटेनर होंगे, जो स्कैनिंग प्रभार के अध्याधीन होंगे। केओपीटी की यह स्थिति स्वीकार्य है।

(v). पूंजीगत लागत

एमएक्ससीएस सिस्टम की कुल पूंजी लागत को केओपीटी ने रुपये 24.94 करोड़ माना है। उक्त पूँजी लागत में 19.53 करोड़ रुपये एक्स-रे स्कैनर लागत, 3.69 करोड़ रुपये अवसंरचना लागत, 0.53 करोड़ रुपये पर विद्युत स्थापना लागत और विविध लागत के लिए 5% की दर से 1.19 करोड़ रुपये शामिल हैं।

पत्तन ने पूँजी लागत के प्रत्येक घटक अर्थात एक्स-रे स्कैनर लागत , अवसंरचना लागत, विद्युत स्थापना लागत और विविध लागत को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ समर्थित किया है। विश्लेषणानुसार यह मान्य है।

जहां तक एक्सरे स्कैनर एक्स-रे स्कैनर की कुल लागत, सिविल अवसंरचना लागत और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन लागत पर 5% की विविध पूंजीगत लागत पर विचार करने के संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 में विविध विभिन्न टर्मिनलों में 5% से 10% तक कार्यपरक विद्युत आपूति प्रकाश व्यवस्था आदि जैसी विविध पूंजीगत लागतों को पूरा करने के लिए पूंजीगत मार्जिन के अतिरिक्त पूंजीगत लागत पर विचार करने का प्रावधान है। प्रतीत होता है कि कंटेनर स्कैनर प्रणाली के लिए कोई विशिष्ट मानक उपलब्ध न होने की स्थिति में पत्तन ने 5 प्रतिशत विविध लागत पर विचार किया है। यह स्थिति स्वीकार्य है।

(vi). **प्रचालन लागतें:**

जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, प्रस्तावित सुविधा के लिए 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं हैं। इस पृष्ठभूमि में, केओपीटी ने स्कैनर सुविधा से संबंधित प्रचालनलागत का निर्धारण किया है, जिसकी चर्चा बाद के पैराग्राफों में की गई है।

(क). <u>विद्युत लागत</u>**:**

पत्तन ने बिजली की लागत का अनुमान लगाने के लिए बिजली की खपत के आकलन का आधार प्रस्तुत किया है। केओपीटी ने माना है कि कुल समय के 99% के लिए, स्कैनर विद्युत- सप्लाई आपूति पर काम करेगा और कुल समय के 1% के लिए, यह डीज़ल जैनरेटर की बिजली पर कार्य करेगा। पत्तन ने इस संबध में परिकलन प्रस्तुत किया है। पत्तन द्वारा उल्लेखित रु.8.97 प्रति यूनिट की लागत विश्वस्नीय है। इस प्रकार, पत्तन द्वारा प्रस्तुत परिकलन के आधार पर पत्तन द्वारा आकलित लागत विश्वस्नीय मानी जाती है

(ख). मरम्मत और रखरखाव की लागत:

(i). मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर (एमएक्ससीएस) रखरखाव लागत:

केओपीटी ने गणना अनुरक्षण कॉन्ट्रेक्ट के अनुसार रखरखाव की लागत रुपये 126.92 लाख वार्षिक को मान लिया है।

(ii). सिविल अवसंरचना लागत:

केओपीटी ने 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सिविल अवसंरचना पर किसी भी मरम्मत और रखरखाव की लागत पर विचार नहीं किया है। किसी भी सुविधा के लिए मरम्मत और रखरखाव पर व्यय एक अनिवार्य खर्च है। इसलिए, अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार सिविल अवसंरचना में 1% और उस पर विविध पूँजीगत लागत के लिए 5% की दर से 3.87 लाख रुपये प्रति वर्ष मान्य है।

(iii). विद्युत उपकरण:

इसी तरह, केओपीटी ने 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार विद्युत स्थापना के लिए भी किसी भी मरम्मत और रखरखाव की लागत पर विचार नहीं किया है। चूंकि, किसी भी सुविधा के लिए मरम्मत और रखरखाव पर खर्च एक अपरिहार्य व्यय है, इसलिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी विद्युत स्थापना लागत का 2% (रु. 52.75 लाख + 5%) पर विचार और 1.11 लाख रुपये प्रति वर्ष का अनुमान लगाया गया है।

(iv). यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वीपीटी पर स्कैनर शुल्क को निर्धारित करने के लिए, पत्तन ने रखरखाव लागत के लिए सिविल परिसंपत्तियों पर 1% की दर से और विद्युत उपकरणों पर 2% की दर पर विचार किया था।

(ग). मूल्यह्रास:

केओपीटी ने विभिन्न संपत्तियों के एकल कार्य-जीवन सिविल लागत, स्कैनर लागत और बिजली के घटकों को अलग किए बिना, कंटेनर स्कैनिंग प्रणाली के कार्य-जीवन को 10 वर्ष मानते हुए मूल्यह्रास लागत का अनुमान रुपये 249.35 लाख लगाया है।

प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, अलग-अलग सिविल परिसंपत्तियों और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए अलग-अलग मूल्यह्रास परिकलित करने का निर्धारण किया गया है।

हालाँकि, इस संदर्भगत मामले में, सुविधा के बाद से 10 साल की अवधि के लिए काम किया जाएगा, 10 साल में पूरी सुविधा के लिए मूल्यह्रास पर विचार करने के लिए पत्तन द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण उचित पाया जाता है और इसलिए इसे स्वीकार किया जाता है।

(घ). बीमा:

प्रशुल्क निकालने के लिए बीमा लागत एक स्वीकार्य लागत मद है। केओपीटी ने कंटेनर स्कैनिंग सुविधा के लिए बीमा लागत पर विचार नहीं किया है। कुल पूंजीगत लागत का 1% की दर से बीमा लागत रु. 0.24 करोड़ प्रति वर्ष का अनुमान है, जो अपफ्रंट शुल्क दिशानिर्देश, 2008 में निर्धारित प्रावधान के अनुरूप है।

(च). अन्य व्यय:

अपफ्रंट टैरिफ दिशानिर्देश, 2008 में कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी तथा सामान्य ऊपरि खर्चों के प्रबंधन के लिए कुल अचल संपत्ति के 5% से 10% की सीमा का उल्लेख किया गया है।

केओपीटी ने सफाई के लिए जनशक्ति-लागत पर प्रति वर्ष 2.62 लाख रुपये; सुरक्षा के लिए, 43.20 लाख रुपये प्रति वर्ष और पूंजीगत लागत पर 2.5% की दर से विविध लागत पर 62.34

लाख रुपये की लागत की राशि पर विचार किया है जिससे कुल जोड़ 108.16 लाख रुपये प्रति वर्ष हो जाता है। केओपीटी ने सफाई और हाउसकीपिंग और सुरक्षा के लिए जन-शक्ति के लिए परिकलित लागत के समर्थन में आंतरिक पत्राचार प्रस्तुत किया है।

चूंकि केओपीटी द्वारा अनुमानित 'अन्य खर्चों' के कुल की मात्रा सकल अचल संपत्ति के 4.34% तक आती है, जो कि 2008 के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न टर्मिनलों के लिए अन्य खर्चों के आकलन के लिए 5% के निर्धारित प्रतिशत के भीतर है, और विश्वस्तीय है। केओपीटी द्वारा प्रस्तुत समर्थित दस्तावेजों के आधार पर, पत्तन द्वारा यथानुमानित 108.16 लाख रुपये प्रति वर्ष, का अन्य खर्च मान्य है।

(vii). **<u>नियोजित पूंजी पर प्रत्यागम</u>**

2008 के अपफ्रंट टैरिफ दिशानिर्देशों के खण्ड 2.4 के अनुसार पोर्ट को नियोजित पूंजी पर प्रत्यागम (आरओसीई) पर प्रत्यागम की गणना करने के लिए @ 16% की दर की आवश्यकता होती है। तदनुसार, केओपीटी ने पूंजीगत लागत पर 16% की दर से प्रत्यागम पर विचार किया है, जो 398.97 लाख रुपये प्रति वर्ष परिकलित हुआ है।

(viii). उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, दिसंबर 2019 के महीने में प्रस्तुत संशोधित लागत विवरण मांग की तुलना में केओपीटी द्वारा अनुमानित रुपये 9.36 करोड़ कुल वार्षिक लागत वसूली की आरओसीई सहित मांग रुपये 9.66 करोड़ बनती है ।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि पत्तन ने अपने प्रस्ताव में संकेत दिया है कि हालांकि स्कैनिंग के लिए स्कैनिंग के लिए कंटेनर को यादृच्छिक रुप से लेगा, तथापि सभी एग्जिम भरे हुए कंटेनरों में स्कैनिंग शुल्क समान रूप से लगाया जाएगा, भले ही भरा हुआ एग्जिम कंटेनर स्कैन किया गया हो या नहीं।

इस प्रकार, कुल वार्षिक राजस्व मांग और अगले 10 वर्षों के लिए अनुमानित कुल कंटेनर आगम-निर्गम की औसत संख्या को ध्यान में रखते हुए, केओपीटी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुसार, पत्तन द्वारा दिसंबर 2019 में प्रस्तावित 208/- प्रति कंटेनर स्कैनर शुल्क रुपये 215/- प्रति कंटेनर परिकलित होता है। ।

केओपीटी में मोबाइल एक्स-रेकंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के संचालन के लिए केओपीटी द्वारा निर्धारित लागत को दर्शाने वाला तुलनात्मक लागत विवरण, हमारे द्वारा मूल्यांकन की गई दर के अनुसार, अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ix). हालांकि उपयोगकर्ताओं ने पत्तन पर स्कैनर की स्थापना का स्वागत किया है, तथापित, सभी उपयोगकर्ताओं ने केओपीटी द्वारा कंटेनर स्कैनर शुल्क लगाने पर आपत्ति जताई है। उपयोगकर्ता चाहते हैं कि दर या तो सीमा शुल्क विभाग द्वारा या पत्तन द्वारा ही वहन की जाए और यह नहीं चाहता कि दर का भुगतान अंतिम आयातक / निर्यातक द्वारा किया जाए।

इस संबंध में, यह बताना है कि स्कैनर की स्थापना सरकार के निर्देशों का अनुपालन में की गई है और सुरक्षा उपाय के रूप में भी है। यह देखते हुए कि पत्तन में स्कैनर स्थापित किया जाना है और इसे अगले 10 वर्षों तक बनाए रखना है, स्कैनर की लागत और साथ ही रखरखाव लागत के लिए कुछ शुल्क लगाने की आवश्यकता है। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई है प्रस्तावित शुल्क उपयुक्त है । ऐसे परिदृश्य में, यह प्राधिकरण, केओपीटी के 208/- रुपये प्रति कंटेनर के बजाय, 215/- रुपये प्रति कंटेनर की दर को अनुमोदित करने का इच्छुक है।

फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर एक अधिकतम सीमा स्तरीय प्रशुल्क है और कम दर वसूलने के लिए पत्तन को छूट है।

(x). चूंकि केओपीटी द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान प्रहस्तित कुल कंटेनरों की वास्तविक गणना के आधार पर प्रशुल्क निर्धारित किया गया है, पत्तनों द्वारा केओपीटी के मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम से संबंधित शुल्क जमा करने की इकाई "प्रति कंटेनर" आधार पर प्रस्तावित की गई है जो स्वीकार्य है।

(xi). केओपीटी ने इस आशय का प्रस्ताव दिया है कि प्रशुल्क सभी भरे हुए एग्जिम कंटेनरों पर लागू होगा और यह कि कंटेनर के आकार के बावजूद निर्यात/आयात कंटेनरों के लिए दर समान होगी और स्कैनिंग प्रभार सभी भरे हुए कंटेनरों पर लागू होगा। इस बात की परवाह किए बिना कि इसे स्कैन किया जा रहा है या नहीं।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि केओपीटी ने अगले 10 वर्षों के लिए जो 2017-18 के दौरान वास्तविक एग्जिम भरे हुए कंटेनरों (आयात और निर्यात दोनों तरह के कंटेनर से मिलाकर) के आधार पर कंटेनर ट्रैफिक अनुमानों के मद्देनज़र प्रशुल्क निर्धारित किया है। चूंकि पत्तन सभी भरे हुए एग्जिम कंटेनरों पर शुल्क लगाने की परिकल्पना करता है, ताकि कुल लागत वसूल कर सके। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, पत्तन द्वारा प्रस्तावित नोट यथावत् स्वीकार किए जाते हैं।

(xii). केओपीटी ने यह कहते हुए एक नोट का प्रस्ताव किया है कि स्वत: वार्षिक सूचकांक के अध्याधीन निर्धारित प्रशुल्क 10 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा । क्योकि दिसंबर 2019 में केओपीटी द्वारा संशोधित लागत विवरण में, पत्तन ने परियोजना का कार्य--जीवन 10 वर्ष माना गया है, प्रस्तावित नोट को मंजूरी दी जाती है।

(xiii). पत्तन ने इस आशय का एक सामान्य नोट प्रस्तावित किया है कि निर्धारित प्रशुल्क मुद्रास्फीति पर सूचकांकित किया जाएगा, लेकिन संबंधित वर्ष के 1 जनवरी 2019 और 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के केवल 60% तक। प्रशुल्क कैप का ऐसा स्वचालित समायोजन हर वर्ष किया जाएगा जो समायोजित प्रशुल्क कैप संबंधित वर्ष के 1 मई से अगले वर्ष के 31 मार्च तक लागू होगा। ।

यद्यपि, केओपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव महापत्तन न्यासों के संबंध में वर्तमान में लागू प्रशुल्क नीति 2018 के अनुसार है, यह पुन: उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नई सेवा के लिए पत्तन द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क प्रासमिक दृष्टिकोण के अनुसार है और अपफ्रंट प्रशुल्क के सिद्धांतों के अनुपालन में है जो नए कार्गो/सेवा के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 तय करने के लिए उक्त प्रशुल्क नीति के तहत उपलब्ध विकल्पों में से एक है। अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अनुसार प्रशुल्क, परियोजना अवधि के लिए है और थोक मूल्य सूचकांक के 60 प्रतिशत तक सूचकांकन के अध्याधीन है ।

चूंकि, केओपीटी के प्रस्ताव में अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के सिद्धांतों का अनुपालन किया जा रहा है, केओपीटी ने ऊपर नोट का प्रस्तावित किया है, जो स्वीकार्य है।

9.1. परिणामत: और ऊपर दिए गए कारणों से तथा केओपीटी में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के संचालन से संबंधित प्रावधान, सामूहिक सोच-विचार के आधार पर, स्वीकार किया जाता हैं:

"केडीएस, केओपीटी में प्रोक्योरमेंट, स्थापन, अनुरक्षण मेंटेनेंस और एक मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग (एमएक्ससीएस) प्रणाली के प्रचालन की लागत वसूल करने के लिए स्कैनिंग प्रभार।"

विवरण	दर-रुपयों में
स्कैनिंग प्रभार	215/- प्रति कंटेनर (जीएसटी को छोड़ कर)

नोट:

(1). स्कैनिंग प्रभार सभी भरे हुए एग्जिम कंटेनरों पर लागू होगा।

(2). कंटेनर के आकार के बावजूद एग्जिम कंटेनरों के लिए दर समान होगी।

(3). स्कैनिंग प्रभार सभी भरे हुए एग्जिम कंटेनरों पर प्रभार्य होगा, भले ही वे स्कैन किये गये हों या नहीं।

(4). निर्धारित प्रशुल्क स्वचालित वार्षिक इंडेक्सेशन के अधीन प्रभावी होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

(5) ऊपर निर्धारित प्रशुल्क को, लेकिन संबंधित वर्ष के 1 जनवरी 2019 और प्रासंगिक वर्ष की 01 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में केवल 60% की भिन्नता की मुद्रास्फीति पर अनुक्रमित किया जाएगा । प्रशुल्क-कैप का ऐसा स्वचालित समायोजन हर साल किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क-कैप संबंधित वर्ष के 1 मई से लागू होगा।

9.2. केओपीटी को उपर्युक्त प्रावधानों को अपने स्केल ऑफ रेट्स में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

9.3. उक्त प्रावधान भारत के राजपत्र में पारित आदेश अधिसूचित होने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होगा और यह उस तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वत: वार्षिक सूचकांकन के अध्याधीन वैध रहेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./04/2020]

अनुलग्नक

कोलकाता पत्तन न्यास पर कोलकाता डॉक सिस्टम में 'मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर' के प्रचालन के लिए प्रशुल्क निर्धारण के लिए लागत विवरणी

रुपयों में

क्रम सं.	विवरण	केओपीटी द्वारा अपने संशोधित प्रस्ताव दिनांक 20-12-2019 में दिए गए अनुमान	प्राधिकरण द्वारा मान्य अनुमान
1	उन लदे हुए कंटेनरों की संख्या (अनुमानित) जो केडीएस पर प्रहस्तित किए जाएंगे		
क	2017-18 में एग्जिम के भरे हुए कंटेनरों की वास्तविक संख्या☐	420513	420513
ख	एईसीओएम रिपोर्ट से ली गई वार्षिक संयोजी ग्रोथ दर (सीएजीआर)	1.028%	1.028%
	2018-19 में सीएजीआर की दर अर्थात 1.028% पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या ☐	424836	424836
ग	2019-20 में सीएजीआर की दर अर्थात 1.028% पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या ☐	429203	429203
घ	2020-21 में सीएजीआर की दर अर्थात 1.028% पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या ☐	433615	433615
ङ	2021-22 में सीएजीआर की दर अर्थात 1.028% पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या ☐	438073	438073
च	2022-23 में सीएजीआर की दर अर्थात 1.028% पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या ☐	442576	442576
छ	2023-24 में सीएजीआर की दर अर्थात 1.028% पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या ☐	447126	447126
ज	2024-25 में सीएजीआर की दर अर्थात 1.028% पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या ☐	451722	451722
झ	2025-26 में सीएजीआर की दर अर्थात 1.028% पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या ☐	456366	456366
ञ	2026-27 में सीएजीआर की दर अर्थात 1.028% पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या ☐	461058	461058
ट	2027-28 में सीएजीआर की दर अर्थात 1.028% पर एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या ☐	465797	465797
ठ	2028-29 में सीएजीआर की दर अर्थात 1.028% पर एग्जिम के लदे हुए	470586	470586

	प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या ☐		
ड	10 वर्षों में एग्जिम के लदे हुए प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की कुल संख्या	4496123	4496123
ढ	**एग्जिम के लदे हुए प्रत्येक वर्ष प्रहस्तन किए जाने वाले कंटेनरों की औसत संख्या ☐**	**449612**	**449612**
2	पूंजीगत लागत	राशि रुपए में	
क	सिविल अवसंरचना लागत + जीएसटी 18% की दर से	36872361.00	36872361.00
ख	विद्युतीकरण लागत	5275393.00	5275393.00
ग	एमएक्ससीएस प्रणाली की स्थापना लागत	195336061.00	195336061.00
घ	विविध लागत (क+ख+ग) का 5%	11874190.75	11874190.75
	कुल पूंजीगत निवेश	**249358005.75**	**249358005.75**
3	**प्रचालन निवेश (प्रतिवर्ष)**		
क.	**विद्युत**		
	कंटेनरों की स्कैनिंग में विद्युत खपत	**5295332.40**	**5295332.40**
ख	मरम्मन और अनुरक्षण		
	(i).एमएक्ससीएस प्रणाली पर ☐	12692347.00	12692346.88
	(ii). सिविल अवसंरचना पर @ 1%	0.00	387159.79
	(iii). विद्युतीकरण पर @ 2%	0.00	110783.25
	उप-योग : मरम्मत और अनुरक्षण लागत ☐	**12692347.00**	**13190289.92**
ग	**बीमा @ 1%**	**0.00**	**2493580.06**
घ	**मूल्य ह्रास**	**24935800.58**	**24935800.58**
ड	**अन्य व्यय**		
	(i). स्वच्छता और रखरखाव के लिए वार्षिक जनशक्ति लागत	262500.00	262500.00
	(ii) सुरक्षा सेवा लागत प्रतिवर्ष	4320000.00	4320000.00
	(iii) विविध व्यय कुल पूंजी निवेश के @ 2.5% की दर से	6233950.14	6233950.14
	उप-योग : अन्य लागतें	**10816450.14**	**10816450.14**
	प्रचालन लागत प्रति वर्ष कुल 3 = (क) + (ख) + (ग) +(घ)+ (ड)	**53739930.12**	**56731453.09**
4	**नियोजित पूंजी पर वार्षिक प्रत्यागम @ 16%**	**39897280.92**	**39897280.92**

5	वार्षिक राजस्व मांग		
क	वार्षिक प्रचालन लागत	53739930.12	56731453.09
ख	नियोजित पूंजी पर वार्षिक प्रत्यागम ☐	39897280.92	39897280.92
ग	वार्षिक राजस्व मांग ग.= (क) + (ख)☐	**93637211.04**	**96628734.01**
6	प्रत्येक भरे हुए एग्जिम कंटेनर पर स्कैनिंग प्रभार = 5 (ग) / 1 (ढ)☐	**208.26**	**214.92**
	(राजस्व मांग/भरे हुए एग्जिम कंटेनरों की औसत संख्या☐		
	प्रत्येक भरे हुए एग्जिम कंटेनर पर स्कैनिंग प्रभार (जीएसटी को छोड़ कर)	**208**	**215**

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the13th March, 2020

No. TAMP/31/2019-KOPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Kolkata Port Trust (KOPT) for fixation of scanning charge to be levied on each loaded EXIM container at Kolkata Dock System of KOPT, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/31/2019-KOPT

Kolkata Port Trust ... **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 20th day of February 2020)

This case relates to a proposal received from Kolkata Port Trust (KOPT) for fixation of scanning charge to be levied on each loaded EXIM container at Kolkata Dock System (KDS) of KOPT.

2.1. The main submission made by KOPT *vide* its letter no. Fin/91/B dated 27June 2019 are as follows:

(i). Indian Ports Association (IPA) for and on behalf of the Major Ports had invited e-tenders from eligible and qualified tenderers to supply, install, commission and maintain 7 nos. of Mobile X-ray Container Scanner system and associated equipment at Jawaharlal Nehru Port (JNPT), KOPT, Kamarajar Port Limited (KPL), New Mangalore Port Trust (NMPT) and Visakhapatnam Port Trust (VPT). Based on the tender, the successful bidder has been entrusted for installation and maintenance of MXCS system.

(ii). KOPT has placed a work order with the successful bidder to process, install, supply, test and commission 1 no. of MXCS system.

(iii). As per direction of the Ministry of Shipping, all ports mentioned above were advised to prepare the proposal to recover the cost incurred towards MXCS system installation and its operation and send the same to TAMP.

(iv). The container scanning facility is a new concept for KOPT and no specific tariff is available in the SOR for such facility.

(v). While making the proposal, TAMP's directive provided in Clause-3 (xix) of KOPT SOR has been followed by KOPT. The said clauses are as follows:

"(a). Whenever a specific tariff for a service/ cargo is not available in the notified Scale of Rates, the KOPT can submit a suitable proposal to TAMP for the notification of the Tariff for the said new service adopting the tariff and performance standards fixed for comparable service in any of the Major Port Trusts. If the determination of tariff is not possible, then the KOPT after giving sufficient reason would propose rates based on cost plus 16% formula.

(b). Simultaneously with the submission of proposal, the proposed rate can be levied on an ad hoc basis till the rate is finally notified.

(c). The ad hoc rate to be operated in the interim period must be derived based on existing notified tariffs for comparable services/cargo; and, it must be mutually agreed upon by the Port/Terminal and the concerned user(s).

(d). The final rate fixed by the TAMP will ordinarily be effective only prospectively. The interim rate adopted in an ad hoc manner will be recognised as such unless it is found to be excessive requiring some moderation retrospectively."

(vi). More than 4.2 lakhs loaded EXIM containers are handled at KDS per annum and number of containers that shall undergo scanning would be far less in comparison to number of loaded EXIM containers being handled at KDS. Thus, number of containers that shall undergo scanning is indeterminable in advance.

(vii). Also, the scanning charge would be prohibitively high if only the containers selected for scanning are considered for calculation of scanning charge. Therefore, the cost of scanning infrastructure (Capex and Opex) has been considered to be spread uniformly across all the loaded Exim containers.

(viii). The rate has been arrived by taking into consideration Civil Infrastructure Cost, Electrical Installation cost, MXCS System Installation Cost, MXCS Maintenance Cost, Electrical Power Consumption Cost, Manpower cost towards cleaning & housekeeping and Cost towards providing security service to the site.

(ix). The detailed calculation for arriving at the rate is based on the TAMP Guidelines on cost plus 16% return basis. The calculation as furnished by KOPT is as follows:

1	No of loaded Exim Containers (Predicted) that will be handled at KDS	
	No of loaded Exim Containers in 2017-18	420,513
	Compound Annual Growth Rate (CAGR) taken from AECOM report	1.028%
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2019-20 @ CAGR	429,203
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2020-21 @ CAGR	433,615
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2021-22 @ CAGR	438,073
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2022-23 @ CAGR	442,576
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2023-24 @ CAGR	447,126
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2024-25 @ CAGR	451,722
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2025-26 @ CAGR	456,366
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2026-27 @ CAGR	461,057
	Total no. of loaded Exim Containers to be handled in 8 years	3,559,739

	Average no of loaded Exim Containers to be handled each year	444,967
	(3559739/8)	
2	Capital Investment	₹.
a.	Civil Infrastructure Cost Plus GST @ 18%	36,872,361
b.	Electrical Installation Cost	5,275,393
c.	MXCS System Installation Cost	195,336,061
	Miscellaneous Cost @ 5% of (a+b+c)	11,874,190.75
	Total Capital Investment	249,358,006
3	Operational Investment (per annum)	₹.
a.	MXCS maintenance cost per annum (MXCS maintenance for 8 years - ₹. 101,538,775)	12,692,347
b.	Depreciation (8 years life of Capital assets) (Total Capital Investment/8) [₹. 249358006/8 years]	31,169,750
c.	Electrical Power consumption in Scanning 444967 containers	5,295,332
d.	Manpower cost towards cleaning & housekeeping per annum	262,500
e.	Cost towards Security service per annum	4,320,000
f.	Miscellaneous expenditure@ 2.5% of total capital investment	6,233,950
	Operational Cost per annum	59,973,879
4	Per annum Return on Capital Employed @ 16%	39,897,281
5	Revenue Requirement per Annum	
a.	Operational Cost per annum	59,973,879
b.	Per annul return on Capital Employed @ 16%	39,897,281
	Per Annum Revenue Requirement	99,871,160
	Scanning Surcharge shall be imposed on each loaded Exim Containers =	
	(per annum Revenue Requirement) / (Average no of Loaded Exim Containers to be handled each year)	224.45
	Scanning Surcharge on each loaded Exim Container (Excluding GST)	**225**

2.2. The proposed rate has the approval of the Board of Trustees of KOPT vide Resolution No. R/31/KDS/TFC/2/05/2019 dated 30 May 2019.

2.3. Based on the above submission and since no specific rate is available in the existing SOR of KOPT for the scanning of the Loaded Exim containers at KDS, the KOPT has proposed scanning charges at ₹. 225/- per container excluding GST. This rate is proposed to be levied on each of loaded EXIM Containers irrespective of the size of the container.

3.1. Since the KOPT had not furnished the list of users / user organizations to be consulted in the case and had also not furnished the Draft SOR, the KOPT was requested vide our letter dated 3/4 July 2019 to furnish the names of the relevant users / user organizations who need to be consulted on the case in reference and was also requested to furnish the draft SOR including the conditionalites governing the proposed levy.

3.2. *Vide* the said letter, it was also informed to KOPT that by Order no. TAMP/77/2018-VPT dated 29 March 2019, this Authority has approved a rate of ₹.152/- per TEU towards charges for operation of Mobile X-Ray Container Scanning System at Visakhapatnam Port Trust (VPT) following normative approach and that if KOPT desire they can adopt this rate also.

3.3. In response to this, the KOPT vide its email dated 1 October 2019 has furnished the list of users / user organizations to be consulted in the case. The KOPT has also furnished the Draft SOR. The Draft SOR for operation of MXCS as proposed by KOPT is as follows:

"Schedule of Charge for Operation of Mobile X-Ray Container Scanning System at KOPT (KDS)

Description	Unit	₹ in INR
Charge for Operation of Mobile X-Ray Container Scanning System	TEU	225.00

Notes:

(1). The tariff prescribed for X-Ray container scanning system is applicable to all import overseas containers other than transshipment containers irrespective of whether an import containers is scanned or not.

(2). The tariff prescribed will be valid for period of 8 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation.

(3). The tariff prescribed above will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year."

3.4. With regard to the adoption of the rate of ₹. 152/- per TEU towards charges for operation of Mobile X-Ray Container Scanning System at VPT as brought above, the KOPT has not given any specific response.

4. In accordance with consultative procedure prescribed, a copy of the KOPT proposal dated 27 June 2019 was forwarded to the concerned users or user organizations, vide our letter dated 25 October 2019, seeking their comments. Some of the user organization have furnished their comments. The said comments were forwarded to KOPT as feedback information. The KOPT vide its email dated 6 December 2019 has responded.

5. A joint hearing on the case in reference was held on 6 December 2019 at the KOPT premises. At the joint hearing, the KOPT made a brief Power Point presentation of the proposal. During the joint hearing, the KOPT and other users / user organizations have made their submissions.

6.1. During the joint hearing, the users have objected to the Container Scanner Charge proposed by the Port. FIEO in its submissions made during the joint hearing has expressed doubts on the container traffic growth considered by KOPT in its calculations. In view of this, the KOPT was requested vide letter dated 13 December 2019 to review the Container Scanner Charges, keeping in view the objections made by the various users in the joint hearing.

6.2. In response to this, the KOPT vide its email dated 20 December 2019 has revised the Scanning Charges and proposed a rate of ₹ 208/- per container from ₹. 225/- per container. The detailed calculation sheet as furnished by KOPT is as follows:

1	No of loaded Exim Containers (Predicted) that will be handled at KDS	
	No of loaded Exim Containers in 2017-18	420,513
	Compound Annual Growth Rate (CAGR) taken from AECOM report	1.028%
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2019-20 @ CAGR (1st year)	429,203
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2020-21 @ CAGR (2nd year)	433,615
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2021-22 @ CAGR (3rd year)	438,073
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2022-23 @ CAGR (4th year)	442,576
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2023-24 @ CAGR (5th year)	447,126
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2024-25 @ CAGR (6th year)	451,722
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2025-26 @ CAGR (7th year)	456,366
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2026-27 @ CAGR (8th year)	461,057
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2027-28 @ CAGR (9th year)	465,796
	No of loaded Exim Containers to be handled in 2028-29 @ CAGR (10th year)	470,584
	Total No. of loaded Exim Containers to be handled in 10 years	44,96,118

	Average no of loaded Exim Containers to be handled each year	4,49,612
	(3559739/8)	
2	Capital Cost	₹.
a.	Civil Infrastructure Cost Plus GST @ 18%	3,68,72,361
b.	Electrical Installation Cost	52,75,393
c.	MXCS System Installation Cost	19,53,36,061
	Miscellaneous Cost @ 5% of (a+b+c)	1,18,74,190.75
	Total Capital Investment	24,93,58,006
3	Operational Cost	₹.
a.	Electrical Power Consumption	52,95,332.40
b.	MXCS maintenance cost	1,26,92,347.00
c.	Depreciation (10 years life of Capital assets)	2,49,35,800.60
d.	Manpower cost towards cleaning & housekeeping per annum	2,62,500.00
f.	Cost towards Security service per annum	43,20,000.00
g.	Miscellaneous expenditure@ 2.5% of total capital investment	62,33,950
	Operational Cost per annum	5,37,39,930.15
4	Per annum Return on Capital Employed @ 16%	3,98,97,281
5	Revenue Requirement per Annum	
a.	Operational Cost per annum	5,37,39,930.15
b.	Per annul return on Capital Employed @ 16%	3,98,97,281.00
	Per Annum Revenue Requirement	9,36,37,211.15
	Charges for Mobile Scanner Per TEU	**208.26**

6.3. Subsequently, the KOPT vide its letter dated 05 February 2020 has forwarded the revised draft Scale of Rates along with the conditionalities governing the levy of charges for Scanner, as given below:

"Scanning Charge to recover the cost of Procurement, Installation, Maintenance and Operation of 1 no. of Mobile X-Ray Container Scanning (MXCS) System at KDS, KOPT.

Description	**Rate in ₹**
Scanning Charge	208/- per Container (excluding GST)

Notes:

(1). Scanning Charge shall be applicable to all loaded EXIM containers.

(2). The rate shall be same for Export/ Import containers irrespective of the size of the Containers.

(3). The Scanning Charge shall be applicable to all loaded EXIM Containers irrespective of it being scanned or not.

(4). The tariff prescribed will be valid for a period of 10 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation.

(5). The tariff prescribed above will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January 2019 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year."

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in

8. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i). Based on the direction of the Government, the Kolkata Port Trust (KOPT) envisages installation of a Mobile X-Ray Container Scanning (MXCS) System at the Kolkata Dock System (KDS), for scanning the Containers. Since no rate is available in the Scale of Rates of KOPT towards Scanner charges, the KOPT has come up with a proposal for fixation of tariff for operation of MXCS system. The proposal of KOPT has the approval of its Board of Trustees.

(ii). The proposal was initially filed by KOPT in June 2019. However, the draft Scale of Rates was made available by KOPT only in October 2019 along with the list of users / user organizations to be consulted. Thereafter, the proposal was taken up on consultation with the relevant stakeholders. Further, based on the discussions during the joint hearing, the KOPT in December 2019 has filed a revised proposal reducing the proposed container scanner charges. The said proposal of KOPT of December 2019 alongwith the other information/ clarification collected during the processing of the case is considered in the analysis.

(iii). As per Clause 7.6.1 of the Tariff Policy, 2018, when a tariff for a new service/ cargo/ equipment/ facility is not available in the SOR of the port, the concerned Major Port Trust can either adopt the tariff and performance standards if any fixed for comparable cargo/ equipment/ service in any Major Port Trust, or can file a proposal for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service/facility with reference to optimal capacity assessed following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity or technical specification of service/facility/equipment. The Guideline further stipulates that if determination of tariff based on the above prescribed options is not available, then the Major Port Trusts after giving sufficient reasons may propose rates based on cost plus 16% return formula.

In this regard, it is to state that the Government while conveying its decision to install the Scanner at the port premises have directed the ports (where the scanners have been directed to be deployed) to follow Normative rates for recovery of cost.

It is in this backdrop that the proposal has been filed by the KOPT for fixation of rate for use of Scanner on normative basis by broadly following the principles prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008. There are no specific norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008 for fixing charges for Container Scanner.

(iv). **Optimal Capacity/ Rated Capacity:**

(a). Taking the actual traffic of 420513 containers handled at KDS during the year 2017-18 and considering a compounded growth rate of 1.028% per annum and considering that the operating period of Scanner would be 10 years i.e. from 2019-20 to 2028-29, the KOPT has arrived at the average estimated EXIM containers to be handled per annum in the said 10 years. The figure so arrived at 449612 containers, has been considered by the KOPT as the Optimal Capacity of the container scanning facility.

(b). In this connection, it may be recalled that in the proposal filed by Visakhapatnam Port Trust (VPT) for fixation of tariff for Operation of Mobile X-Ray container scanning system at VPT (based on Government's direction) in December 2018, the VPT had assessed the rated capacity of the Scanner facility at 2,45,280 TEUs per annum. This was based on the presumption of handling 20 sets of 2 TEUs per hour for 24 days in a year of 365 days at 70% utilisation i.e. (20 sets x 2 TEUs x 24 hours x 365 days x 0.7 =2,45,280 TEUs). In the absence of any specific norm available for this facility and based on the rated productivity as assessed by the VPT, this Authority in its Order no. TAMP/77/2018-VPT dated 29 March 2019, had then relied upon the rated capacity as proposed by VPT.

(c). If norm based charges are to be determined for the use of the Scanner facility, the rated capacity of the Scanner facility at 2,45,280 TEUs per annum, as relied upon in the case of VPT, may have to be considered in respect of KOPT also. However, the

KOPT has stated that if charges for the use of the Scanner facility is fixed based on the normative capacity, the scanning charges would be prohibitively high.

(d). In this regard, it is to state that the rated capacity as considered in the case of VPT is significantly lower than the annual average estimated EXIM containers, as considered by KOPT in the proposal in reference. In such a scenario, if the rate for use of the Scanner facility at KOPT is fixed based on the rated capacity as considered in the case of VPT, the scanning charges will work out to be abnormally higher as compared to the tariff as proposed by KOPT.

(e). Any increase in the scanning charges of containers will be disadvantageous to the users. In fact, the plea of users/ user organizations is to reduce the container handling charges from the proposed level. Keeping in view the flexibility available under the Tariff Guidelines of 2018 to the Port to determine the rates based on the market forces and commercial judgment of the Port and also since the proposal has the approval of the Board of Trustees of KOPT, average traffic is considered as 449612 containers as assessed by the KOPT for the purpose of calculation of tariff.

(f). With regard to the number of containers as considered by the KOPT at 449612 containers, one of the users organisations viz., Federation of Indian Export Organization (FIEO) has objected to the annual container growth rate of about 1% considered by the KOPT. The FIEO is of the view that the growth rate of about 1% considered by the KOPT for the next 10 years is significantly less, taking into account the various initiatives and the investments that the port is undertaking to attract the container traffic. Thus, the FIEO has requested to consider higher volume of container traffic, which will have an impact of reduction in the scanner charges proposed by the port.

In this regard, the KOPT has countered that the container traffic growth has stagnated over the past 2-3 years and the increase in traffic is on account of increase in the volume of Empty containers only, wherein the empty containers will not be subjected to scanning. It is only the loaded EXIM containers, which would be subject to scanning charges. This position of the KOPT is considered.

(v). **Capital Cost:**

The total capital cost of the MXCS System has been considered by the KOPT at ₹ 24.94 crores. The said capital cost comprises of cost of X-Ray Scanner at ₹ 19.53 crores, cost towards civil infrastructure at ₹ 3.69 crores, cost towards electric installation at ₹ 0.53 crores and miscellaneous cost @ 5% to the tune of ₹ 1.19 crores.

Each component of the capital cost i.e. cost of X-Ray Scanner, cost towards civil infrastructure and cost towards electric installation has been substantiated by the port with documentary evidence. The same is considered in the analysis.

As regards consideration of miscellaneous cost to the tune of 5% on the aggregate cost of X-Ray Scanner, civil infrastructure cost and electric installation cost, it is to state that the 2008 upfront tariff guidelines provides to consider miscellaneous capital cost in addition to civil and equipment cost at various percentages of the capital cost for various terminals ranging from 5% to 10%, to meet the miscellaneous capital costs such as working capital margin, power supply, lighting etc. In the absence of any specific norms for container scanner system, the port is seen to have considered 5% miscellaneous cost. This position is relied upon.

(vi). **Operating costs**:

As stated earlier, there are no specific norms prescribed for the proposed facility in the upfront tariff guidelines 2008. In this backdrop, the KOPT has determined the operating costs related to the scanner facility, which is discussed in the subsequent paragraphs.

(a). Power Cost:

The port has furnished the basis for estimation of electric power consumption for estimating the power cost. The KOPT has assumed that for 99% of the total time, the scanner will operate on electrical load and for 1% of the total time, it will function on DG power. The port has furnished workings in this regard. The cost of electricity at ₹ 8.97 per unit as furnished by the port is relied upon. Thus, based on the workings furnished by the port, the power cost as assessed by the port has been relied upon.

(b). Repairs and Maintenance Cost:

(i). Mobile X-Ray Container Scanner (MXCS) Maintenance cost:

The KOPT has considered the maintenance cost at ₹ 126.92 lakhs per annum as per the maintenance contract in the calculation.

(ii). On Civil Infrastructure cost:

The KOPT has not considered any repairs and maintenance cost on civil infrastructure as per the norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008. The expenditure on Repairs and Maintenance is an inevitable expenditure for any facility. Therefore, 1% of the capital civil infrastructure and 5% thereon towards Miscellaneous capital cost as per the Upfront Tariff Guidelines has been considered in the workings at ₹. 3.87 lakhs per annum.

(iii). On Electrical Equipment:

Similarly, the KOPT has also not considered any repairs and maintenance cost for electrical installation separately as per the norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008. Since, the expenditure on Repairs and Maintenance is an inevitable expenditure for any facility, 2% of the capital electric installation cost (₹. 52.75 lakhs + 5%) as per the Upfront Tariff Guidelines has been considered and estimated at ₹. 1.11 lakhs per annum.

(iv). It is relevant here to mention that incase of fixing the scanner charges at VPT, the port had considered maintenance cost @ 1% on civil assets and 2% on electrical equipment.

(c). Depreciation:

The KOPT has estimated the depreciation cost at ₹ 249.35 lakhs, by considering the life of the container scanning system as 10 years, without distinguishing the individual life of different assets viz. civil costs, scanner cost and electric components cost separately.

The upfront tariff guidelines 2008 prescribes to arrive depreciation for civil assets and Mechanical and electric components separately as per the Companies Act, 2013.

However, in the case in reference since the facility itself will be in operation for a period of 10 years, the approach adopted by the port to consider depreciation for the entire facility at 10 years is found reasonable and hence it is accepted.

(d). Insurance:

The insurance cost is an admissible cost item to arrive at tariff. The KOPT has not considered insurance cost for the container scanning facility. The insurance cost @ 1% of the total capital cost has been estimated at ₹.0.24 crores per annum, in line with the provision prescribed in the Upfront Tariff Guidelines, 2008.

(e). Other Expenses:

The Upfront Tariff Guidelines, 2008, provides for considering 'Other expenses' in the range of 5% to 10% of gross fixed assets, towards salaries and wages of staff and management of general overheads.

The KOPT has considered an amount of ₹. 2.62 lakhs per annum towards manpower cost for cleaning & housekeeping, ₹. 43.20 lakhs per annum towards cost of security and ₹. 62.34 lakhs towards miscellaneous cost @ 2.5% of the capital cost, thereby aggregating to ₹.108.16 lakhs per annum. The KOPT has furnished internal correspondence in support of cost arrived towards manpower for cleaning and housekeeping and security.

Since the quantum of the aggregate of 'other expenses' as estimated by KOPT works out to 4.34% of the gross fixed assets, which is within the prescribed percentage of 5% for estimating other expenses for various terminals as per the 2008 guidelines, and relying on the supporting documents finished by KOPT, the Other expenses of ₹. 108.16 lakhs per annum, is considered as estimated by the Port.

(vii). Return of Capital Employed (ROCE)

Clause 2.4. of the upfront tariff Guidelines of 2008 requires the port to compute Return on Capital Employed (ROCE) @ 16%. Accordingly, the KOPT has considered return at the rate of 16% on the capital cost, which works outs ₹. 398.97 lakhs per annum.

(viii). Based on the above analysis, the total annual cost recovery requirement including ROCE works out to ₹. 9.66 crores as against ₹. 9.36 crores as estimated by the KOPT in the revised cost statement furnished in the month of December 2019.

In this regard, it is to state that the port has indicated in its proposal that though the scanner will pick up container at random for scanning, all EXIM loaded containers shall be uniformly charged the scanning charges, irrespective of whether EXIM loaded container is scanned or not.

Thus, taking into account the total annual revenue requirement and the average number of total container traffic estimated for the next 10 years, as per the approach adopted by KOPT, the scanner charges works out to ₹ 215/- per container as against the rate of ₹ 208/- per container proposed by the port in December 2019.

The comparative cost statement showing the cost as determined by KOPT vis-à-vis the rate as assessed by us, for operation of Mobile X-Ray Container Scanning System at KOPT is attached as **Annex**.

(ix). Though the users have welcomed the installation of Scanner at the port, all the users have objected to the levy of container scanner charges by KOPT. The users want the rate to be either borne by the Customs department or by the port itself and do not want the rate to be passed on the end importer/ exporter. In this regard, it is to state that the installation of the Scanner is to comply with the directions of the Government and also as a security measure. Given that the port has to install the Scanner and maintain it for the next 10 years, it needs to levy some charge to recover the cost of Scanner as well as the maintenance cost. The proposed charge is appropriate, as discussed in the previous paragraphs. In such a scenario, this Authority is inclined to approve the rate of ₹ 215/- per container, instead of the proposal of KOPT at ₹ 208/- per container.

Nevertheless, it is to state that the rate approved by this Authority is a ceiling tariff and the port is at a liberty to charge a lower rate.

(x). Since the tariff has been determined by the KOPT based on the actual count of total containers handed during the years 2017-18, the unit of levy for collecting the charges pertaining to Mobile X-Ray Container Scanning System of KOPT has been proposed by the Port on "Per Container" basis, which is approved.

(xi). The KOPT has proposed notes to the effect that the tariff shall be applicable to all loaded EXIM Containers and that the rate shall be same for Export/ Import containers irrespective of the size of the Containers and that the Scanning Charge shall be applicable to all loaded EXIM Containers irrespective of it being scanned or not.

In this regard, it is to state that the KOPT has arrived at the tariff considering the container traffic projections for the next 10 years forecasted based on the actual EXIM loaded containers (consisting of both Imports and Exports loaded containers) handled during 2017-18. Since the port envisages to levy the charges on all loaded EXIM Containers, to enable it recover the total cost. In view of the above position, the notes as proposed by the Port are approved.

(xii). The KOPT has proposed a note stating that the tariff prescribed will be valid for period of 10 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation. Since in the revised cost statement furnished by the KOPT in December 2019, the port has considered the life of the project as 10 years, the proposed note is approved.

(xiii). The port has proposed a general note to the effect that the prescribed tariff will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2019 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st May of the relevant year to 31st March of the following year.

Though the proposal filed by the KOPT is under the Tariff Policy 2018 presently applicable in respect of Major Port Trusts, it is relevant to reiterate that the tariff proposed by the port for

the new service is following the normative approach and the principles of upfront tariff of 2008 guidelines which is one of the options available under the said Tariff Policy for fixing tariff for new cargo/ service. In case of upfront tariff under 2008 guidelines, the tariff is for the project period and is subject to automatic annual indexation at 60% of the WPI.

Since the proposal of the KOPT is following the principles of the upfront tariff Guidelines of 2008, the KOPT has proposed the note as brought out above, which is approved.

9.1. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, following provision relating to operation of Mobile X-Ray Container Scanning System at KOPT, is approved:

"Scanning Charge to recover the cost of Procurement, Installation, Maintenance and Operation of 1 no. of Mobile X-Ray Container Scanning (MXCS) System at KDS, KOPT.

Description	**Rate in ₹**
Scanning Charge	215/- per Container (excluding GST)

Notes:

(1). Scanning Charge shall be applicable to all loaded EXIM containers.

(2). The rate shall be same for Export/ Import containers irrespective of the size of the Containers.

(3). The Scanning Charge shall be applicable to all loaded EXIM Containers irrespective of it being scanned or not.

(4). The tariff prescribed will be valid for a period of 10 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation.

(5). The tariff prescribed above will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January 2019 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year."

9.2. The KOPT is directed to incorporate the above said provisions in its Scale of Rates, suitably.

9.3. The said provision shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India and shall remain valid for a period of 10 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./04/2020]

Annex

COST STATEMENT FOR FIXATION OF TARIFF FOR OPERATION OF MOBILE X-RAY CONTAINER SCANNING SYSTEM AT KOLKATA DOCK SYSTEM AT KOLKATA PORT TRUST

(in ₹.)

Sr. No.	**Particulars**	**Estimates given by KOPT in its revised proposal dated 20.12.2019**	**Estimates considered by TAMP**
1	**No of loaded Exim Containers (Predicted) that will be handled at KDS**		
a.	Actual no of loaded Exim Containers in 2017-18	420513	420513
b.	Compound Annual Growth Rate (CAGR) taken from AECOM report	1.028%	1.028%
	No of loaded Exim Containers in 2018-19 @ CAGR i.e. 1.028%	424836	424836
c.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2019-20 @ CAGR i.e. 1.028%	429203	429203

d.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2020-21 @ CAGR i.e. 1.028%	433615	433615
e.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2021-22 @ CAGR i.e. 1.028%	438073	438073
f.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2022-23 @ CAGR i.e. 1.028%	442576	442576
g.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2023-24 @ CAGR i.e. 1.028%	447126	447126
h.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2024-25 @ CAGR i.e. 1.028%	451722	451722
i.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2025-26 @ CAGR i.e. 1.028%	456366	456366
j.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2026-27 @ CAGR i.e. 1.028%	461058	461058
k.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2027-28 @ CAGR i.e. 1.028%	465797	465797
l.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2028-29 @ CAGR i.e. 1.028%	470586	470586
m.	Total no. of loaded Exim Containers to be handled in 10 years	4496123	4496123
n.	**Average no of loaded Exim Containers to be handled each year (4496123 containers /10 years)**	**449612**	**449612**
2	**Capital Investment**	Amount in Rupees	
a.	Civil Infrastructure Cost Plus GST @ 18%	36872361.00	36872361.00
b.	Electrical Installation Cost	5275393.00	5275393.00
c.	MXCS System Installation Cost	195336061.00	195336061.00
d.	Miscellaneous Cost @ 5% of (a+b+c)	11874190.75	11874190.75
	Total Capital Investment	**249358005.75**	**249358005.75**
3	**Operational Investment (per annum)**		
a.	**Power**		
	Electrical Power consumption in Scanning containers	**5295332.40**	**5295332.40**
b.	Repairs and maintenance		
	(i). On MXCS System	12692347.00	12692346.88
	(ii). On Civil Infrastructure @ 1%	0.00	387159.79
	(iii). On Electric Installation @ 2%	0.00	110783.25
	Subtotal : Repairs and Maintenance cost	**12692347.00**	**13190289.92**
c.	**Insurance @ 1%**	**0.00**	**2493580.06**
d.	**Depreciation**	**24935800.58**	**24935800.58**
e.	**Other expenses**		
	(i). Manpower cost towards cleaning & housekeeping	262500.00	262500.00
	(ii). Cost towards Security services	4320000.00	4320000.00
	(iii) Miscellaneous expenditure@ 2.5% of total capital cost	6233950.14	6233950.14
	Subtotal : Other Costs	**10816450.14**	**10816450.14**
	Operational Cost per annum [Total 3 = (a) + (b) + (c) +(d)+ (e)	**53739930.12**	**56731453.09**
4	**Return on Capital Employed @ 16%**	**39897280.92**	**39897280.92**
5	**Annual Revenue Requirement**		
a.	Operational Cost per annum	53739930.12	56731453.09
b.	Per annul return on Capital Employed @ 16%	39897280.92	39897280.92

c.	Annual Revenue Requirement c.= (a) + (b)	**93637211.04**	**96628734.01**
6	**Scanning Charged on each loaded Exim Containers = 5 (c) / 1 (n)**	**208.26**	**214.92**
	(Revenue Requirement) / (Average no of Loaded Exim Containers)		
	Scanning charges on each loaded Exim Container (Excluding GST)	**208**	**215**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA